भारत में राष्ट्रपति शासन

मणिपुर में राष्ट्रपति शासन का विस्तार अनुच्छेद 356 के ऐतिहासिक उपयोग को उजागर करता है, जिसमें राज्य की लोकतंत्र व्यवस्था का निलंबन हो जाता है और राजनीतिक सत्ता की गतिशीलता को नया रूप मिलता है।

भारत के संघीय ढाँचे में राष्ट्रपति शासन के प्रकार्य

- **संवैधानिक तंत्र का प्रत्यावर्तन:** राज्य शासन के विफल होने पर प्रशासन की निरंतरता सुनिश्चित करता है।
- **राष्ट्रीय अखंडता और सुरक्षा:** अलगाववादी आंदोलनों या बाह्य खतरों के दौरान संघ के हस्तक्षेप की अनुमति दी गई है।
  - **उदाहरण:** पंजाब में राष्ट्रपति शासन (1980 का दशक)
- **राजनीतिक गतिरोध के दौरान तटस्थ प्रशासन:** त्रिशंकु विधानसभाओं में अस्थिरता का निवारण, नए चुनावों के आयोजन में सहायक।
- आपात स्थितियों (प्राकृतिक आपदाओं, महामारी) के दौरान कुशल संसाधन आवंटन के लिये **समन्वय को सुगम** बनाता है।
- **भ्रष्टाचार से सुरक्षा:** जवाबदेही सुनिश्चित करता है, **विधिसम्मत शासन को बनाए रखता है** और संविधान में जनता के विश्वास बढ़ाता है।

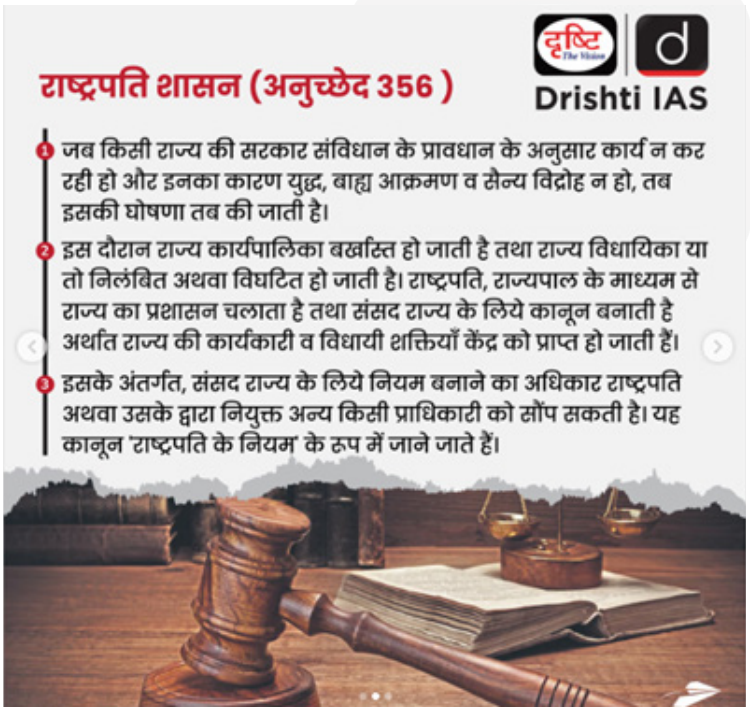

राष्ट्रपति शासन लागू होने से संबंधित चिंताएँ	सुझाव
• **संघवाद और राज्य की स्वतंत्रता के लिये जोखिम:** इसका उपयोग राजनीतिक लाभ के लिये किया जा सकता है, जिससे केंद्र की शक्ति वर्द्धित होगी और क्षेत्रीय संस्थाओं को निष्प्रभावी किया जा सकेगा। • **शासन में निष्क्रियता का जोखिम:** नीति कार्यान्वयन में देरी और प्रशासन निष्प्रभावी होगा, क्योंकि केंद्रीय प्राधिकारियों के पास स्थानीय संदर्भ का अभाव है। • **राज्यपाल की भूमिका और पक्षपात:** राष्ट्रपति शासन के लिये राज्यपालों की अनुशंसाएँ राजनीतिक रूप से पक्षपाती हो सकती हैं (2016 अरुणाचल प्रदेश मामला); **पुंछी आयोग ने राज्यपालों को स्वतंत्र रूप से कार्य करने की सलाह दी।**	• **अनुच्छेद 356** अंतिम उपाय होना चाहिये **(सरकारिया आयोग); "संवैधानिक तंत्र की विफलता"** की स्पष्ट परिभाषा। • अनुच्छेद 355 और 356 **(पुंछी आयोग)** के तहत, विशिष्ट क्षेत्रों में 3 महीने तक के लिये राज्यपाल शासन की अनुमति। • शासन लागू करने से पहले राज्य को चेतावनी के साथ **राज्यपाल की विस्तृत रिपोर्ट; सदन में परीक्षण कराया जाना चाहिये।** • **अनिवार्य न्यायिक समीक्षा तंत्र** में यह सुनिश्चित किया जाना चाहिये कि शासन केवल आवश्यक होने पर ही लागू किया जाए।

- **एस. आर. बोम्मई केस (1994):** सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि अनुच्छेद 356 न्यायिक समीक्षा के अधीन है और राज्य सरकार की बर्खास्तगी केवल राज्यपाल के मत पर नहीं, बल्कि सदन में परीक्षण पर आधारित होनी चाहिये।
- **सर्वानंद सोनोवाल केस (2005):** सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 355 के तहत राज्यों को बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति से संरक्षण प्रदान करने के संघ के कर्तव्य पर बल दिया।

भारत में भिक्षावृत्ति

एम.एस. पैटर बनाम दिल्ली राज्य, NCT मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि राज्य-चालित **भिक्षुकगृह संवैधानिक ट्रस्ट हैं, न कि "अर्द्ध-कारागार" या "दान परोपकार"**।

- **सुरक्षा और संरक्षा:** महिलाओं और बच्चों के लिये अलग सुविधाएँ; बाल देखभाल, परामर्श और शिक्षा प्रदान की जाए।
  - बच्चों को किशोर न्याय (बालको की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 के तहत बाल कल्याण संस्थानों में भेजा जाना चाहिये।
- **स्वास्थ्य और कल्याण:** 24 घंटे के भीतर अनिवार्य स्वास्थ्य जाँच; पोषण निगरानी के लिये डाइटिशियन नियुक्त किया जाए।
- **संरचना और रखरखाव:** प्रत्येक दो वर्षों में स्वतंत्र रूप से तृतीय-पक्ष के माध्यम से ऑडिट; भीड़-भाड़ रोकने के लिये सख्त क्षमता सीमाएँ; समाज में पुनः एकीकरण के लिये व्यावसायिक प्रशिक्षण।

भिक्षावृत्ति में योगदान देने वाले कारक	समाज पर प्रभाव
• **आर्थिक कठिनाई:** गरीबी, बेरोज़गारी और प्रवासन लोगों को भिक्षावृत्ति हेतु मजबूर करते हैं।	• **सार्वजनिक स्वास्थ्य जोखिम:** भिक्षावृत्ति वाले स्थानों पर स्वच्छता की कमी के कारण बीमारियों का प्रसार होता है।
• **सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारक:** कुछ समुदायों में जाति व्यवस्था तथा वंशानुगत व्यवसाय भिक्षावृत्ति में योगदान करते हैं।	• **अपराध और शोषण:** संगठित भिक्षावृत्ति वाले गिरोह/समूह व्यक्तियों का शोषण करते हैं, जिसमें बाल तस्करी तथा बलात् श्रम शामिल है।
• **शारीरिक एवं मानसिक दिव्यांगता:** पुनर्वास एवं स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं की कमी के कारण दिव्यांगजन प्रायः भिक्षावृत्ति का सहारा लेते हैं।	• **पर्यटन और शहरी प्रभाव:** अत्यधिक भिक्षावृत्ति से पर्यटन, सुरक्षा और शहरी स्थानों के संबंध में लोगों की धारणा प्रभावित होती है।
• **प्राकृतिक आपदाएँ:** बाढ़, सूखा और भूकंप के कारण विस्थापन के चलते निर्धनता में वृद्धि होती है तथा भिक्षावृत्ति की प्रवृत्ति बढ़ती है।	• **मानवाधिकार उल्लंघन:** भिखारियों को प्रायः भिक्षावृत्ति विरोधी कानूनों के तहत गिरफ्तार तो किया जाता है लेकिन वैकल्पिक पुनर्वास उपलब्ध नहीं कराए जाते साथ ही, गरीब और हाशिये पर जीवन-यापन कर रहे लोगों को लक्षित किया जाता है।
• **संगठित भिक्षावृत्ति वाले गिरोह:** मानव तस्कर और आपराधिक समूह कमज़ोर व्यक्तियों का शोषण करते हैं, जिसमें सहानुभूति-प्रेरित दान प्राप्त करने के लिये बदले शिशुओं को मादक पदार्थ देना भी शामिल है।	• **सार्वजनिक सेवाओं पर बोझ:** भिक्षावृत्ति में संलग्न लोगों के कुपोषित होने के कारण स्वास्थ्य सेवा प्रणालियों तथा सार्वजनिक कल्याण संसाधनों पर दबाव पड़ता है।

भिक्षावृत्ति के मुद्दे को संबोधित करने के लिये दृष्टिकोण

- आश्रय, कौशल विकास और **MGNREGA** तथा **PMAY** जैसी कल्याणकारी योजनाओं के साथ एकीकरण के माध्यम से **पुनर्वास को दृढ़** करना।
- **भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023** के तहत भिक्षावृत्ति को समाप्त करने के लिये मानव तस्करी विरोधी कानूनों का सख्ती से पालन किया जाए इसके लिये बेहतर समन्वय की आवश्यकता होगी।
- **भिक्षावृत्ति में सलग्न व्यक्तियों के लिये स्वास्थ्य एवं स्वच्छता सुविधाओं में सुधार:** मोबाइल क्लिनिक के माध्यम से नियमित स्वास्थ्य जाँच और उपचार उपलब्ध कराया जाए और इन्हें सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यक्रमों में शामिल किया जाए।
- **सामाजिक जागरूकता और समावेशन:** सामाजिक पूर्वाग्रहों को कम करने के लिये जागरूकता अभियान चलाएँ और नागरिक समाज की भागीदारी को प्रोत्साहित किया जाए।

राज्यों की राजकोषीय स्थिति पर CAG की रिपोर्ट

CAG द्वारा किये गए 28 राज्यों के दशकीय विश्लेषण के अनुसार उनका **लोक ऋण** वर्ष 2013-14 के 17.57 लाख करोड़ रुपए से **तीन गुना** बढ़कर वर्ष 2022-23 में 59.60 लाख करोड़ रुपए हो गया।

- **GSDP के हिस्से के रूप में ऋण:** वर्ष 2013-14 के 16.66% से बढ़कर वर्ष 2022-23 में 22.96% हो गया।
- **भारत के सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में ऋण:** 22.17%
- **उच्चतम ऋण अनुपात:** पंजाब (40.35%), नगालैंड (37.15%), पश्चिम बंगाल (33.70%)।
  - **निम्नतम:** ओडिशा (8.45%), महाराष्ट्र (14.64%), गुजरात (16.37%)।
- **ऋण बनाम राजस्व क्षमता:** ऋण राजस्व प्राप्तियों का लगभग 150% था, जो वर्ष 2020-21 में 191% के उच्चतम स्तर पर पहुँच गया।
- **ऋण ग्रहण के स्रोत:** बाज़ार प्रतिभूतियों, ट्रेज़री बिल, बॉण्ड, RBI, LIC, NABARD आदि के माध्यम से ऋण प्राप्ति।

- **केंद्र की भूमिका:** GST की कमी और पूंजीगत व्यय सहायता के कारण केंद्र से प्राप्त ऋण में वृद्धि।
- **स्वर्णिम नियम का उल्लंघन:** 11 राज्यों ने पूंजीगत निवेश के बजाय मौजूद व्यय के लिये उधार का उपयोग किया (आंध्र प्रदेश और पंजाब)।

उच्च राज्य ऋण के कारण	सुझाव
अपर्याप्त राजकोषीय स्वायत्तता: GST ने कर संग्रह को केंद्रीकृत कर दिया, जिससे राज्यों का राजस्व सृजन सीमित हो गया और कर राजस्व में उनकी हिस्सेदारी कम हो गई।	**राजस्व सृजन में वृद्धि:** कर संग्रह में सुधार, कर आधार का विस्तार, नए राजस्व स्रोतों- खनन रॉयल्टी, पर्यटन और परिसंपत्ति मुद्रीकरण- की संभावनाएँ।
राजकोषीय असंतुलन: राज्य राजस्व का एक तिहाई से भी कम संग्रह करते हैं, लेकिन सार्वजनिक/सरकारी व्यय का लगभग दो-तिहाई हिस्सा राज्यों का होता है, जिससे उन्हें ऋण ग्रहण करना पड़ता है।	**व्यय को युक्तिसंगत बनाना:** पूंजीगत व्यय पर ध्यान केंद्रित करना, विवेकाधीन व्यय को नियंत्रित करना और अकुशल कल्याणकारी कार्यक्रमों को सुव्यवस्थित करना।
बाज़ार उधार पर अत्यधिक निर्भरता: उच्च लागत पर बाज़ार उधार में वृद्धि, जिससे वित्तीय भार बढ़ता है।	**ऋण पुनर्गठन:** उच्च-ब्याज़ वाले ऋणों को पुनर्वित्त करने, कम लागत वाले ऋण स्रोतों (NSSF, ग्रीन बॉण्ड) की संभावनाएँ तलाशने और FRBM अधिनियम के अनुसार ऋण सीमा निर्धारित किये जाने की आवश्यकता है।
आकस्मिक देयताएँ: वित्तीय गारंटी (जैसे, बुनियादी ढाँचा परियोजनाएँ) भविष्य के दायित्व उत्पन्न करती हैं, जिससे राजकोषीय जोखिम उत्पन्न होते हैं।	**निवेश को बढ़ावा देना:** प्रमुख क्षेत्रों - बुनियादी ढाँचा, प्रौद्योगिकी और नवीकरणीय ऊर्जा- में सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) को बढ़ावा दिया जाना चाहिये।
ब्याज की उच्चतर दरें: राज्यों को केंद्र सरकार की तुलना में अधिक उधारी लागत का सामना करना पड़ता है, जिससे ऋण चुकौती का भार बढ़ जाता है।	**आकस्मिक निधि का सर्जन:** इसका उद्देश्य अनपेक्षित वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करना और अत्यधिक उधारी में कमी लाना होगा।
ऐतिहासिक ऋण संचयन: उच्च ऋण स्तर वाले राज्य ऋण चुकौती के लिये और अधिक ऋण ग्रहण करते हैं, जिससे ऋण जाल बनता है।	**लोक वित्तीय प्रबंधन:** निष्पादन-आधारित बजट, राजकोषीय स्थिति सूचकांक (FHI) और प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जाना आवश्यक है।

भारत में नदी प्रदूषण और शमन

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के अध्ययन से ज्ञात होता है भारत में अस्वच्छ और अत्यधिक प्रदूषित नदी खंडों (PRS) की स्थिति में सुधार हुआ है, स्नान के लिये अस्वच्छ नदी खंडों की **संख्या 815 (2022) से घटकर 807 (2023) हो गई और प्रदूषित नदी खंडों (PRS) की संख्या 311** से घटकर 296 हो गई।

- **सूक्ष्म सुधार:** स्नान के लिये अनुपयुक्त नदी खंडों की संख्या (BOD > 3 mg/L) 815 (2022) से घटकर 807 (2023) हो गई है।
- **नदी प्रदूषण की राज्यवार स्थिति:** महाराष्ट्र 54 PRS के साथ सबसे आगे है, इसके बाद केरल (31), मध्य प्रदेश और मणिपुर (प्रत्येक 18) और कर्नाटक (14) हैं।
- प्राथमिकता 1 वाली नदियों का BOD स्तर 30 mg/L से अधिक होता है और जहाँ तत्काल सुधार की आवश्यकता होती है।
- **नदियों की स्वच्छता को संदर्भित करते ट्रेंड्स:** 'प्राथमिकता 4' वाले खंड (स्थान) 72 से घटकर 45 हो गए किंतु वहीं 'प्राथमिकता 2' और 'प्राथमिकता 3' वाले खंडों की संख्या में वृद्धि हुई है।
  - **स्वच्छता की माप:** नदी स्वच्छता की सफलता को इस आधार पर आंका जाता है कि कौन-से खंड प्राथमिकता 1 से 5 की ओर बढ़ रहे हैं अर्थात् प्रगतिशील हैं, क्योंकि उच्च प्राथमिकता वाले खंडों में कम हस्तक्षेप की आवश्यकता होती है।

नदी प्रदूषण के प्रमुख कारण (स्मरणसूचक: RIVER)	नदी संरक्षण हेतु सुझाव (स्मरणसूचक: SACRED)
• **R – Ritualistic Pollution (धार्मिक प्रदूषण):** मूर्ति विसर्जन, अंतिम संस्कार, और पुष्प अपशिष्ट से प्लास्टिक और विषैले रंगों का जल में मिश्रण।	• **S – Strict Enforcement (कठोर प्रवर्तन):** जल अधिनियम, 1974 का अनुपालन किया जाए और NGT के माध्यम से नदियों की सफाई एवं सीवेज अवसंरचना पर त्वरित विधिक कार्रवाई की जाए।
• **I – Industrial Effluents (औद्योगिक अपशिष्ट):** उद्योगों से निकलने वाले भारी धातु (सीसा, पारा, आर्सेनिक) गंगा (कानपुर), यमुना (दिल्ली) और दामोदर (झारखंड) को प्रदूषित करते हैं।	• **A – Agricultural Chemical Control (कृषि रसायनों का नियंत्रण):** जैविक कृषि, कीट प्रबंधन, नदी किनारे बफर ज़ोन और इको-फ्रेंडली सब्सिडी को बढ़ावा दिया जाए।
• **V – Vast Agricultural Contamination (कृषि प्रदूषण):** उर्वरक, कीटनाशक और पराली जलाने से अपवाह, जलजीवों को नुकसान और पोषक तत्वों का अधिभार (पंजाब की सतलज नदी)।	• **C – Community-Led Conservation (सामुदायिक संरक्षण):** स्थानीय लोगों को अपशिष्ट प्रबंधन और नदी संरक्षण में भागीदार बनाया जाए।
• **E – Environmental & Thermal Stress (पर्यावरणीय और तापीय दबाव):** ऊर्जा संयंत्र (फरक्का और अन्य NTPC सुविधाएँ) ऊष्मित जल निर्गमित करते हैं।	• **R – Rigorous Industrial Regulation (कठोर औद्योगिक विनियम):** ज़ीरो लिक्विड डिस्चार्ज (ZLD) से संबंधित नियम लागू किये जाएँ, इफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट (ETPs) की निगरानी की जाए और आवश्यकता अनुसार दंड का प्रावधान किया जाए।
• **R – Reckless Solid Waste (बेपरवाह ठोस अपशिष्ट):** नदियाँ (मुंबई की मिठी) प्लास्टिक अपशिष्ट से प्रदूषित हैं जो इनके अपवाह को अवरुद्ध करता है, जबकि अव्यवस्थित लैंडफिल (दिल्ली का गाज़ीपुर) भूजल में विषैले तत्व निर्गमित करते हैं।	• **E – Ecological Restoration (पारिस्थितिक पुनर्स्थापना):** नदियों के स्वास्थ्य को सुधारने के लिये गाद निकालना, पुनर्वनीकरण, आर्द्रभूमि एवं बाढ़भूमि संरक्षण को प्रोत्साहन दिया जाए।
	• **D – Digital Monitoring Network (डिजिटल निगरानी नेटवर्क):** AI, IoT, GIS और ड्रोन आदि तकनीकों का उपयोग किया जाए।

सावलकोट जलविद्युत परियोजना

पहलगाम आतंकी हमले के परिणामस्वरूप **सिंधु जल संधि (IWT)** के निलंबन के बाद, जम्मू-कश्मीर के लिये रणनीतिक और ऊर्जा महत्त्व के कारण **अवरुद्ध सावलकोट जलविद्युत परियोजना को स्वीकृति देने के लिये तेज़ी से कार्य किया जा रहा है।**

- **वर्ष 1984 में शुरू हुई** (अभी राष्ट्रीय प्राथमिकता घोषित); चिनाब नदी **(IWT के अंतर्गत पश्चिमी नदी)** पर 1,856 मेगावाट की **रन-ऑफ-द-रिवर परियोजना।**
- यह जलाशय युक्त कंक्रीट का **भाराश्रित बांध** होगा।
- इससे संभवतः **7,000 मिलियन यूनिट से अधिक विद्युत** का उत्पादन होगा (जो इसे भारत की सबसे बड़ी जलविद्युत परियोजनाओं में से एक बनाता है)।
- चिनाब नदी पर 390 मेगावाट की **दुलहस्ती परियोजना (किश्तवाड़), 890 मेगावाट की बगलिहार परियोजना (रामबन)** और **690 मेगावाट की सलाल परियोजना (रियासी)** स्थित है।

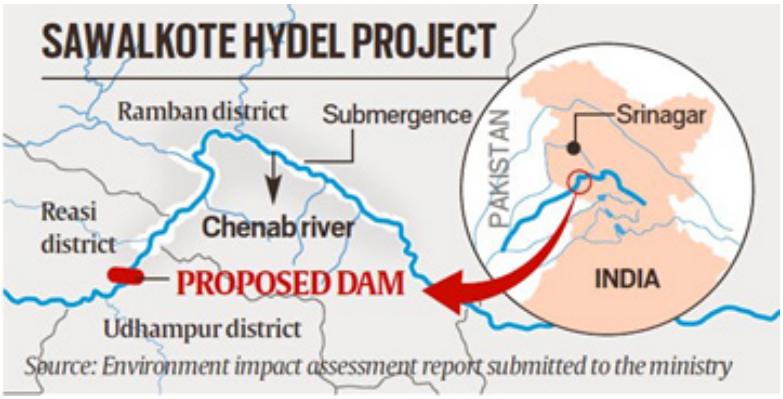

अर्जुन 2025 PN7: पृथ्वी का नवीनतम अर्द्ध-उपग्रह

खगोलविदों ने **अर्जुन 2025 PN7** नामक नए अर्द्ध-उपग्रह की खोज की है, जो अर्जुन क्षुद्रग्रह वर्ग का हिस्सा है। इसे हवाई स्थित **पैन-स्टार्स-1 दूरबीन** ने द्वारा पहलीबार देखा गया था।

- यह पृथ्वी का **सातवाँ ज्ञात अर्द्ध-उपग्रह** है। इसे अर्द्ध-चंद्रमा भी कहा जाता है। यह सूर्य के चारों ओर पृथ्वी के साथ समन्वित गति में परिभ्रमण है, लेकिन पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से योजित नहीं है।
  - **अर्द्ध-उपग्रह सैकड़ों या हज़ारों वर्षों तक पृथ्वी की कक्षा के साथ समन्वय में विद्यमान हैं,** जबकि लघु-चंद्रमा केवल थोड़े समय के लिये पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं।
- इसका अर्द्ध-दीर्घ अक्ष 1.003 खगोलीय इकाई है, जो पृथ्वी की कक्षा के लगभग बराबर है। यह दीर्घवृत्तीय कक्षा में परिभ्रमण करता है और पृथ्वी के साथ **1:1 ऑर्बिटल रेजोनेंस** में स्थित है।
- यह अगले **128 वर्षों तक अर्द्ध-उपग्रह** बना रहेगा, जिससे वैज्ञानिकों को ऑर्बिटल रेजोनेंस, गुरुत्वीय परस्पर अनुक्रियाओं, पृथ्वी के निकट पिंडो की गति और ग्रह सुरक्षा से संबंधित अनुसंधान का मौका मिलेगा।
- **अर्जुन क्षुद्रग्रह वर्ग** उन क्षुद्रग्रहों का समूह है जिनकी कक्षाएँ पृथ्वी के समान हैं। इसे पहली बार क्षुद्रग्रह **1991 VG** के साथ पहचाना गया था।
- ये पृथ्वी के निकटतम पिंडों में शामिल होते हैं और कभी-कभी अस्थायी रूप से लघु-चंद्रमा बन सकते हैं, फिर धीरे-धीरे पृथ्वी से दूर चले जाते हैं।

चरम नाभिकीय क्षणिक घटनाएँ

ENT **गामा-किरण विस्फोटों (GRB) से अधिक प्रभावशाली** होते हैं जो अभी तक के सबसे तीव्र विद्युत चुंबकीय विकिरण हैं।

- यह **ब्रह्मांडीय विस्फोटों का एक नया खोजा गया वर्ग** है जो विशालकाय तारों (सूर्य के द्रव्यमान का लगभग तीन गुना) के तारकीय मलबे द्वारा संचालित होता है, जो अतिविशाल ब्लैक होल द्वारा विखंडित होते हैं।
- **क्रियाविधि**- इवेंट होराइज़न के निकट उपस्थित ज्वारीय बल के कारण तारे में विस्तार और संकुचन होता है, जिससे व्यापक मात्रा में विद्युत चुंबकीय ऊर्जा मुक्त होती है।
- ENT रेडियो तरंगदैर्ध्य के रूप में वर्षों तक उद्दीप्त रहते हैं और सुदूर से भी दृश्यमान रहते हैं।
  - यह बृहद पोषी आकाशगंगाओं में संपन्न होते हैं और **ज्वारीय विघटन घटनाओं (TDE)** की तुलना में अधिक विशाल ब्लैक होल से संबंधित होते हैं।
  - **तीव्र एक्स-रे क्षणिक घटनाएँ (FXT)** अल्पकालिक, निम्न ऊर्जावान होती हैं, जो ब्लैक होल से नहीं, बल्कि सुपरनोवा से उत्पन्न होती हैं।
- **वेरा सी. रुबिन वेधशाला और नैन्सी ग्रेस रोमन अंतरिक्ष टेलीस्कोप** द्वारा प्रेक्षण में सुधार होने के साथ, इससे अतिविशाल ब्लैक होल और ब्रह्मांडीय भौतिकी को समझने में सहायता मिलेगी।

हिमालयी कस्तूरी मृग

केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण ने मान्यता प्राप्त चिड़ियाघरों में किसी भी **बद्ध हिमालयी कस्तूरी मृग के न होने की सूचना** दी है, जो दर्शाता है कि **हिमालयी कस्तूरी परियोजना (1982)** के बावजूद कोई प्रजनन कार्यक्रम शुरू नहीं हुआ है।

- मुख्यतः **भारत, नेपाल, भूटान और चीन** में पाया जाता है।
- **कायिक विवरण-** बालुकामय भूरा रंग, खरगोश रूपी, सींग रहित, पित्ताशय युक्त (अन्य मृगों से भिन्न)।
- एकांतवासी, स्थानबद्ध जीवन, **संध्याचर, पुच्छ ग्रंथि से अपने प्रभुत्व क्षेत्र का चिह्नांकन** और चाल में उच्छलन जिससे यह परभक्षियों से बचने में 6 मीटर तक उछलने में सक्षम होता है।
- **IUCN रेड सूची-** संकटापन्न, **CITES-** परिशिष्ट I, **WPA, 1972- अनुसूची I**।